न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/351

1. काना आत्मज नारायण जाति मेघवाल ।
2. रतना आत्मज नारायण जाति मेघवाल निवासीगण भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. इन्द्र आत्मज गजानन्द जाति मीणा निवासी भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 04.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट काना व रतना ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र संख्या 06/16 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में अन्य भूमियों के साथ नये खसरा नम्बर 331 की 0.12 हैक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि प्रार्थीगण की गैर खातेदारी में जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अप्रार्थी कम 02 के कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से खसरा नम्बर 331 की 0.12 हैक्टर के स्थान पर 0.06 हैक्टर भूमि दर्ज कर दी । अप्रार्थी कम 02 के कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रार्थीगण के खाते में भूमि कम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है । प्रार्थीगण के खाते की भूमि कम दर्ज किये जाने से अप्रार्थी कम 1 के मन में बदनियति आ गई है और

वह प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा करता है जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः ताफैसला वाद प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के खिलाफ एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 331 रकबा 0.12 हैक्टर भूमि अथवा उसके भू–भाग से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे और उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे ।

4. इसी प्रकार अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट इन्द्रकुमार ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के नाना गजानन्द आत्मज रोडू जी को पुराने खसरा नम्बर 101/2 की 11 बिस्वा भूमि आवंटन की गई थी तथा आवंटन के पश्चात् उक्त भूमि पर जहॉ पर कब्जा गजानन्द को दिया गया था वहॉ पर ही गजानन्द जी का कब्जा काश्त चला आ रहा है था । सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 333 की 0.05 हैक्टर व खसरा नम्बर 334 की 0.05 हैक्टर कायम करते हुए उक्त भूमि गजानन्द के नाम दर्ज की गई । बाद सेटलमेंट गजानन्द का मौके पर नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नम्बर 331 की 0.10 हैक्टर भूमि पर ही कब्जा चला आ रहा था जो अप्रार्थी कम 1व 2 के खाते दर्ज कर दी गई तथा प्रार्थी के खाते सहवन से खसरा नम्बर 333 व 334 की भूमि दर्ज कर दी जबकि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । खसरा नम्बर 331 की भूमि पर कभी भी अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है । अप्रार्थी कम 1व 2 उक्त भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं तथा प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

5. अतः ताफैसला वाद प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी कम 1व 2 को उक्त भूमि खसरा नम्बर 331 रकबा 0.10 हैक्टर से बेदखल नहीं करें और प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें और उक्त भूमि को किसी प्रकार से रहन, बेचान एवं अन्तरण नहीं करें ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को समेकित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 25.04.2018 के द्वारा दोनों प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उभय पक्ष को ताफैसला वाद ग्राम भीमपुरा की आराजी खसरा नम्बर 331 की मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.04.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थी काना व रतना ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में दोनों पटवारी रिपोर्ट से यह स्पष्ट होना नहीं माना कि मौके पर खसरा नम्बर 331 की भूमि पर कौन काबिज है । दोनों रिपोर्ट विरोधाभासी हैं जिससे मौके पर कौन काबिज है स्पष्ट नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण अपीलान्ट ने तीनों बिन्दु प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रमाणित कर दिये थे फिर भी प्रार्थीगण अपीलान्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी । अतः अपील अपीलान्ट

स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने के बाद रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके की यथास्थिति नहीं रखकर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हो गये । इस पर अपीलान्ट ने उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 31.05.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में अन्य भूमियों के साथ नये खसरा नम्बर 331 की रकबा 0.12 हैक्टर दर्ज चली आ रही है । यह आराजी प्रार्थी अपीलान्ट के गैर खातेदारी में दर्ज है । प्रार्थीगण मौके पर 0.12 हैक्टर भूमि पर काबिज काश्त है परन्तु बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अप्रार्थी कम 2 के कर्मचारियों ने खसरा नम्बर 331 की 0.12 हैक्टर के स्थान पर 0.06 हैक्टर भूमि दर्ज कर दी है । रेस्पोडेन्ट कम 01 इसका फायदा उठाकर अपीलान्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं । रेस्पोडेन्ट के नाना को आराजी खसरा नम्बर 101/2 की 11 बिस्वा आराजी का आवंटन किया गया था । उसके नये खसरा नम्बर 33 की 0.05 हैक्टर व खसरा नम्बर 334 की 0.05 हैक्टर कायम किये गये । मौके की रिपोर्ट विरोधाभासी है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक है । राजस्व रिकॉर्ड की अनदेखी कर निर्णय पारित किया गया है । रेस्पोडेन्ट प्रार्थी अपीलान्ट को बेदखल करने पर आमादा हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.2018 निरस्त फरमाया जावे।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अपीलान्ट के द्वारा और एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किया गया था । रेस्पोडेन्ट के नाना को 11 बिस्वा आराजी आवंटित की गई थी । सेटलमेंट के बाद इसके नये खसरा नम्बर 333 रकबा 0.05 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 334 रकबा 0.05 हैक्टर कायम किये गये हैं । गजानन्द जी का मौके पर खसरा नम्बर 331 की रकबा 0.10 हैक्टर भूमि पर ही कब्जा चल आ रहा है जो अप्रार्थी अपीलान्ट कम 1 व 2 के खाते दर्ज कर दी है और रेस्पोडेन्ट के खाते सहवन से खसरा नम्बर 333 और 334 की आराजी दर्ज की गई है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनों प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए खसरा नम्बर 331 के बाबत् मौके की यथास्थिति का जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.2018 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अपीलान्टगण के द्वारा पेश किया गया था और एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्टगण के द्वारा पेश किया गया था । पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात में अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के साथ कुछ फोटोग्राफ्स पेश किये हैं । साथ ही फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2043–62 पेश की है जिसके अनुसार कान्हा, रतना पुत्र नारायण के खसरा नम्बर 331 की रकबा 0.12 हैक्टर भूमि गैर खातेदारी में दर्ज है । इसके अलावा नकल जमाबन्दी संवत् 2069–72 संलग्न है जिसके अनुसार प्रार्थीगण के खाते में खसरा नम्बर 331 की रकबा 0.06 हैक्टर आराजी दर्ज है ।

14. रेस्पोडेन्टगण द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र के साथ फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2069–72 नया खाता संख्या 12 में खसरा नम्बर 331 की रकबा 0.06 हैक्टर आराजी कान्हा व रतना के खाते में दर्ज है और फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2069–72 नया खाता संख्या 18 की खसरा नम्बर 333 और 334 की भूमि गजानन्द पुत्र रोडू के नाम खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2024–38 भी पेश की गई है जिसके अनुसार गजानन्द की गैर खातेदारी में खसरा नम्बर 101/2 की 11 बिस्वा आराजी दर्ज है । फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 101 मिन के हाल खरसा नम्बर 331 रकबा 0.12 हैक्टर, 332 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 334 रकबा 0.05 हैक्टर बने हैं ।

15. इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उसके अनुसार खसरा नम्बर 331, 332, 333 और 334 साबिक खसरा नम्बर 101 मिन से बने हैं । खसरा नम्बर 331 में साबिक खसरा नम्बर 101 मिन रकबा 07 बिस्वा आराजी दर्ज की गई है जबकि हाल खसरा नम्बर 331 का रकबा 0.12 हैक्टर दर्ज किया गया है जो साबिक रकबे से कहीं अधिक है । इस प्रकार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के नाना गजानन्द को खसरा नम्बर 101/2 की 11 बिस्वा आराजी आवंटन की गई थी और उने खाते में खसरा नम्बर 333 और 334 कुल रकबा 0.10 हैक्टर कायम किया गया जो कि 11 बिस्वा से कहीं अधिक है । रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 331 को गजानन्द जी काश्त कर रहे हैं जबकि यह आराजी अपीलान्ट के खाते में दर्ज है और खसरा नम्बर 333 और 334 जो कि रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज है उस पर कब्जा अपीलान्टगण का है । अपीलान्ट खसरा नम्बर 331 की 0.12 हैक्टर पर अपना कब्जा बता रहे हैं जबकि खसरा नम्बर 331 का अब रकबा 0.06 हैक्टर है । पक्षकारों के अधिकार एवे स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त ही तय होंगे इस स्टेज पर नहीं । इस प्रकरण में यह देखा जाना भी आवश्यक है कि रेस्पोडेन्ट के खाते में उनको आवंटित आराजी से अधिक आराजी किस आधार पर दर्ज की गई

है । प्रार्थी का यह कथन है कि उनके खाते की आराजी खसरा नम्बर 331 रकबा 0.12 हैक्टर के स्थान पर 0.06 हैक्टर कर दी गई है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 331 का साबिक खसरा नम्बर 101 मिन करबा 07 बिस्वा ही था जो कि 0.12 हैक्टर से काफी कम है । उनके खाते की आराजी कम दर्ज हुई है अथवा नहीं यदि कम दर्ज हुई है तो किस खसरा नम्बर में शामिल की गई है यह साक्ष्य के उपरान्त मूल दावे में तय होगा इस स्टेज पर नहीं और रेस्पोडेन्टगण के द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें उन्होंने कथन किया है कि उनका कब्जा खसरा नम्बर 331 रकबा 0.10 हैक्टर पर चला आ रहा है जबकि खसरा नम्बर 331 की आराजी हाल राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार रकबा 0.06 हैक्टर है न कि 0.10 हैक्टर । रेस्पोडेन्टगण का यह भी कथन है कि उनका कब्जा खसरा नम्बर 333 और 334 पर नहीं है । ये समस्त बिन्दु मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त ही तय किये जा सकते हैं इस स्टेज पर नहीं ।

16. अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों प्रार्थना पत्रों को समेकित करते हुए अपने अपीलाधीन निर्णय से आराजी खसरा नम्बर 331 की मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए उभय पक्षकारान को पाबन्द किया है जबकि हम इस प्रकरण में समस्त विवादित खसरा नम्बर 331, 333 और 334 के लिए उभय पक्षकारान को ताफैसला दावा मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं क्योंकि विवादित खसरा नम्बर सिर्फ 331 ही नहीं वरन् खसरा नम्बर 333 और 334 भी हैं । कब्जे के बाबत् उभयपक्षकारान ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.2018 में इस सीमा तक संशोधन किया जाता है कि उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला वाद ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 331, 333 और 334 के बाबत् मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

18. निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा